बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि०प्रा०/नि1-18/2019 1841 /पटना, दिनांक 16/11/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) ।

सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी ।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी ।

सभी निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी (स०स०) ।

विषय : **पैक्स निर्वाचन 2019 - मतदाता सूची अद्यतनीकरण (updation) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मतदाता सूची की तैयारी एक लगातार (continuous) प्रक्रिया है। जब एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है, तब उसके अंतिम प्रकाशन के बाद भी ऐसे मामले दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जिसमें या तो पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है या नामों को शुद्ध करने या मृत्यु आदि कारणों से नामों को विलोपित करने की आवश्यकता है।

प्राधिकार के पत्रांक 905 दिनांक 19.07.2009 एवं पत्रांक 8856 दिनांक 19.08.2011 (सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय-2 में वर्णित) द्वारा मतदाता सूची अद्यतनीकरण (updation) के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसका अवतरण संलग्न है।

सम्यक् विचारोपरांत उपर्युक्त प्रक्रिया की कंडिका (VI) को संशोधित करते हुए मतदाता सूची अद्यतनीकरण (Updation)के तहत आवेदन देने की समय सीमा संबंधित समिति के निर्वाचन के लिए अधिसूचित नामांकन की तिथि से पॉच दिन पूर्व तक की जाती है। यह निदेश मात्र पैक्स निर्वाचन 2019 के लिए लागू है। अन्य प्रक्रियाएँ यथावत रहेंगी।

अत: अनुरोध है कि तदनुसार मतदाता सूची अद्यतनीकरण (updation) की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/11/19

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अध्याय - 2

मतदाता सूची का अद्यतनीकरण (अपडेशन)

मतदाता सूची की तैयारी एक लगातार (continuous) प्रक्रिया है। जब एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है, तब उसके अंतिम प्रकाशन के बाद भी ऐसे मामले दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जिसमें या तो पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है या नामों को शुद्ध करने या मृत्यु आदि कारणों से नामों को विलोपित करने की आवश्यकता है।

2. अद्यतनीकरण (updation) अपडेशन के संबंध में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा :-

(i) नामों को विलोपित करने, शुद्ध करने या नाम के स्थान को बदलने (transposition) का कार्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वत: किया जा सकता है। किन्तु मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई निर्वाचन पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर ही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ सकता है।

(ii) मतदाता सूची को अपडेट करते समय कट-ऑफ तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(iii) नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र-एम 3 में दिए जायेंगे एवं नामों को शुद्ध करने के लिए आवेदन प्रपत्र-एम 4 में दिए जाएंगे। आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से दो प्रतियों में दिए जाएँगे।

(iv) आवेदन देने की समय सीमा सम्बन्धित समिति के निर्वाचन के लिए अधिसूचित नामांकन की तिथि से 10 दिन पूर्व तक होगी। इसके बाद दिये गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(v) निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: वैसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटा सकेगा, जिनकी मृत्यु के सम्बन्ध में उसे संपुष्ट सूचना प्राप्त है। उसी प्रकार हिज्जे की स्पष्ट भूलों को भी निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: शुद्ध कर सकेगा।

(vi) नामांकन के 10 दिन पूर्व तक कोई अपडेशन सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र-एम 8 में प्राप्त आवेदनों पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए प्रत्येक सप्ताह के हर सोमवार को प्रपत्र-एम 8 सूचना पट पर प्रकाशित करेगा एवं अंतत: नामांकन के 10 दिन पूर्व प्राप्त आवेदनों को उसी दिन सूचना पट पर प्रकाशित करेगा। बाद में नाम जोड़ने, नाम हटाने या सुधार करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा। आपत्तियाँ देने की समय सीमा प्रपत्र-एम 8 में सूचना के प्रकाशन से 3 दिनों तक होगी।

(vii) दावे/ आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों को नोटिस निर्गत करेंगे एवं सरसरी तौर पर मामले की सुनवाई करेंगे। दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन 3 दिनों के अंदर निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

(viii) किसी मतदाता सदस्य के सम्बन्ध में उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने सम्बन्धी आपत्ति सही पाये जाने पर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से

विलोपित कर दिया जायेगा। मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम मृत्यु के आधार पर हटाने के पहले निर्वाचन पदाधिकारी को स्वयं सन्तुष्ट हो लेना चाहिए कि मृत्यु की सूचना सही है एवं तत्पश्चात् ही उन्हें उस व्यक्ति का नाम विलोपित करने का आदेश देना चाहिए।

(ix) स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दोनों मामलों में निर्वाचन पदाधिकारी अपने निष्कर्ष को संक्षेप में अवश्य अंकित कर देंगे।

(x) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवेदक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का निर्णय लेने की स्थिति में सम्बन्धित मतदाता को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज अंतिम नाम के क्रमांक के बाद का क्रमांक आवंटित किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी समिति की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज अंतिम मतदाता का क्रमांक 616 है और लगातार अपडेशन में 15 व्यक्ति मतदाता सूची में जोड़ने के योग्य पाये गये हैं, तो उन 15 मतदाताओं का क्रमांक क्रमशः 617 से 631 तक दिया जायेगा। अपडेशन के फलस्वरूप अगर किसी समिति में पूर्व से अंकित मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है, तब चुनाव घोषणा के पश्चात् वैसी बढ़ी हुई संख्या के मतदाताओं को भी उसी मतदान केन्द्र से संबद्ध किया जायेगा, जो अपडेशन के पहले था।

(xi) लगातार अपडेशन की प्रणाली के तहत जोड़े गये/ हटाये गये व्यक्तियों की सूची को पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(xii) किसी समिति के नामांकन एवं निर्वाचन की तिथियों की अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के समय यदि उक्त पत्र में विहित दस दिनों की समय सीमा उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित समिति के मतदाता सूची के अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 905 दिनांक 19 जुलाई, 2009 एवं
पत्रांक 8856 दिनांक 19 अगस्त, 2011)

3. मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के पश्चात् अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन कराया जायेगा। उक्त अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी अपने मुहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे तथा तिथि भी अंकित करेंगे। इस अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजने की जिम्मेवारी निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे आधार मतदाता सूची के रूप में अपने पास कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे तथा इसकी एक-एक सेट छायाप्रति संबंधित सहायक निबंधक और समिति को सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेंगे। दुग्ध उत्पादक समितियों में जिला सहकारिता पदाधिकारियों का उक्त कार्य संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा किया जायेगा। प्रमंडल स्तरीय सहकारी समितियों एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियों में उक्त कार्य प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक/ निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।